International Journal of Applied Research 2022; 8(3): 330-333

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(3): 330-333
www.allresearchjournal.com
Received: 02-01-2022
Accepted: 05-02-2022

डॉ0 विक्रम कुमार
सहायक आचार्य, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ, राजास्थान भारत

सुमन बाला
शोधार्थी, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ, राजास्थान भारत

Corresponding Author:
डॉ0 विक्रम कुमार
सहायक आचार्य, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ, राजास्थान भारत

घरेलू हिंसा की रोकथाम में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

डॉ0 विक्रम कुमार एवं सुमन बाला

सारांश
प्रस्तुत शोधपत्र में घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकार, महिलाओ के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया। सर्वाधिक महिलाआ का यह कहना हैं कि सर्वाधिक महिलाएँ घरेलू हिंसा से संबंधित कानून एवं अधिकार की आंशिक तौर पर जानकारी रखती हैं। जिससे यह परिणामप्राप्त हुआ है कि आज भी कई परिवारो मे लड़को को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन्हें वो हर काम करने की छूट दी जाती है जो नैतिक रूप से गलत है। इन्हीं का परिणाम है कि घरेलू हिंसा एवं बलात्कार जैसी घटनाऐं सामने आ रही हैं। इसके लिए उन विकासशील सोच वाले शिक्षित पुरूषों को आगे बढ़कर रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलना होगा तथा महिलाओं को अपने अधिकारोके प्रति जाग्रत होना होगा।

कूट शब्दः घरेलू हिंसा, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला मानव अधिकार

प्रस्तावना
नारी की अवस्था के लिए सुखद स्थिति का प्रारम्भ बिट्रिश युग में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पर बल तथा नारी शिक्षा को महत्व देने से हुआ। दो महत्वपूर्ण आंदोलनों सामाजिक सुधार आंदोलन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नारी की स्थिति में ओर सुधार हुआ। सामाजिक आंदोलन के मुख्य प्रणेता राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम. जी. रानाडे,महात्मा फुले तथा अन्य थे जिनका मूल उद्देश्य था, सती प्रथा का विरोध, विधवा स्त्रियों की स्थिति में सुधार, विधवा विवाह, संपत्ति में अधिकार,बाल विवाह का विरोध स्त्री शिक्षा का प्रचार–प्रसार इन सारे पहलुओं पर विचार विमर्श ही वह मुख्य कुंजी है, जो धीरे–धीरे महिला समानता एवं विकास के सारे रास्ते खोलता चला गया। इसी समय सती विरोधी अधिनियम, विवाह एवं संपत्ति तथा बच्चों पर अधिकार से संबंधित कानूनों का निर्माण हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व वाला एवं उसके पूर्व का राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें नारी की जीवन पद्धति, विचार पद्धति एवं क्रिया पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। इस आंदोलन के साथ ही नारी शिक्षा समानता एवं उसके अधिकार एवं सुधार के संवैधानिक अधिनियम एवं कानून बनाना भी उल्लेखनीय है। मूल रूप से विधवा पुर्नविवाह कानून (1856), बाल विवाह (शारदा एक्ट 1928) तथा अन्य संपत्ति के अधिकार से विधित कानून पास किए गए,जिसका सीधा प्रभाव नारी विकास पर पडा, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उस समय जुड़ गया जब संगठन एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला के कार्य के घटे, समान वेतन,रात में कार्य नहीं, खान एवं खतरनाक कामों में भागीदारी पर रोक, बच्चे के लिए पालनागृह सुविधा प्रदान करना। इस तरह से महिला विकास के लिए शंखनाद कर दिया गया तथा यह भी बता दिया गया कि स्त्री विकास तभी संभव है जब शिक्षा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी संगठित क्षेत्र में बढता कदम, स्वयं की पहचान को बढ़ावा देना।

2. महिलाओं के अधिकार
कई अपराध पता नही लग पाते है या फिर रिपोर्ट नही हो पातें हैं सिर्फ इसलिये कि महिलायें अपने अधिकारों से अवगत नहीं होती है। अपराधों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ने के लिए यह जरुरी है कि महिलायें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती हो। भारतीय संविधान महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करता है। अधिकारों की एक सूची हम यहां दे रहे है जिससे हर लड़की और महिला को अवगत होना चाहिए।

2.1 प्रसूति लाभ अधिनियम (2017)
हाल ही में संशोधित मातृत्व लाभ सं शोधन अधिनियम 2017, गर्भावस्था के दौरान काम करने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को अपनी गर्भावस्था के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक महिला कर्मचारी को कुछ विशेष सु विधाएं प्रदान करनी होती हैं।

इन विशेष लाभों में पेड मातृ त्व अवकाश (12 से 26 सप्ताह तक), घर से काम करने का मौका (सामान्य वेतन लाभ के साथ) और कार्य स्थल पर क्रेचे सुविधाएं भी शामिल हैं। यह अधिनियम महिलाओं को उनके काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक फायदे देता है। हालांकि, इस अधिनियम की वजह से लोगों से विपरित प्रतिक्रिया भी मिली। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक, नियोक्ता अब महिला कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए उत्सुक नहीं होगें, जिसकी वजह से उनके लिए नौकरी के कम अवसर होगें।

2.2 कार्य स्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013)

हाल के दिनों में यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या है। यौन उत्पीड़न का मतलब होता है शारीरिक संपर्क और उसके आगे जाना, या यौन उत्पीड़न की मांग या अनुरोध, या यौन से संबंधित टिप्पणियांया अश्लीलता दिखाना या यौन प्रकृति के किसी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर–मौखिक आचरण शामिल हैं। चाहे वह पुरुष मालिक या सहयोगी द्वारा किया जाता है, आप मामलें में पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी सं गठनों को एक आंतरिक शिकायत समिति की आवश्यकता होती है, जिसे ऐसी किसी भी शिकायत को देखना चाहिए।

2.3 घरे लू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (2005)

यह कानून रूप से साथी द्वारा की गई हिंसा से संबंधित किसी भी महिला साथी (चाहे पत्नी या महिलाएं हो) को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें महिला अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परे शानी की शिकायत दर्ज करा सकती है जो उनके जीवन और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हो। इस कानून में संशोधन के बाद विधवा महिलाओं बहनों और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी इस तरह के अधिकार बढ़ाए गए है।

2.4 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005)

यह अधिनियम सभी हिंदू महिलाओं को पितृ संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण और शक्ति देने का अधिकार देता है। 2005 में हुये संशोधनों ने परिवार में महिला और पुरुष के बीच संपत्ति वितरण अधिकारों को और आगे बढ़ाया। बेटियों को विवाह के बाद भी बेटों के बराबर ही संपत्ति पर अधिकार होगा।

2.5 बाल विवाह अधिनियम निषेध, 2006

बाल विवाह हमारे देश में एक लंबे समय तक चलने वाली प्रथा है। यह कानून शुरुआती विवाह के कारण हुई परे शानी से दोनों लिंगों के बच्चों की रक्षा करता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में, छोटी लड़कियों का विवाह बड़े व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। इस प्रकारयह जानना जरुरी है कि एक लड़की के विवाह होने की कानूनी उम्र 18 साल है, जबकि लड़के के लिए यह 21 वर्ष होती है। माता–पिता जो निर्धारित उम्र तक पहुं चने से पहले अपने बच्चों को मजबूर कर लेते हैं, वे इस कानून के तहत दंड के अधीन हैं।

2.6 स्ट्रीट पर उत्पीड़न

हालांकि भारतीय दंड संहिता अपनी पुस्तको में स्ट्रीट उत्पीड़न – छेड़कानी का उपयोग या परिभाषित नहीं करती है ले किन वह निश्चित तौर पर आपको नुकसान से बचाती है। सरल शब्दों में इसे सार्वजनिक रूप से किसी महिला को प्रताड़ित करना या परे शान करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उदाहरण के लिएउस पर अपमानजनक टिप्पणी करना। आईपीसी की धारा 294 और 509 महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों से बचाती है और किसी भी व्यक्ति या समूह के लोगों को किसी भी उम्र की महिला के प्रति आक्रामक–अपमानजनक टिप्पणी या इशारा करने के लिए प्रतिबंधित करती है।

2.7 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, (1961)

बाल विवाह की तरह, भारतीय संस्कृति में दहेज भी पुरानी परंपरा है। दुल्हन और उनके परिवारों को अधिकतम धनराशि का भुगतान करने के लिए अत्याचार किया जाता है, ताकि शादी किसी भी तरह से चलती रही। भारतीय कानून इस तरह के किसी भी कृत्य को दंडित करता है जिसमें लेने और देने पर परिवारों के बीच संबंध बनाये जाते है।

3. घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिलाएं

"घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा, 2005" घरेलू हिंसा को पारिभाषित किया गया है–"प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगाः–

- क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है, या
- दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुक्सान पहुँचाना या जोखिम में डालना, या
- पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना, या
- पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुक्सान पहुँचाना"

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु 2005 में भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को समाप्त करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पति द्वारा घर से निकाली गई महिला को घर में प्रवेश दिलाने का अधिकार भी दिया गया है या तलाकशुदा महिला को भरण पोषण उसकी संतान को भरण पोषण दिए जाने का अधिकार भी दिया गया है। यह महिलाओं के लिए बनाया गया अत्यंत सार्थक एवं सशक्त कानून है जिसके माध्यम से महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोका जा सकता है। यह कानून हिंसा को रोकने हेतु सार्थक सिद्ध हो रहा है।

3.1 कौन घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है?

इस अधिनियम के तहत यह जरूरी नहीं है की पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कराये। कोई भी व्यक्ति चाहे वह पीड़ित से संबंधित हो या नहीं, घरेलू हिंसा की जानकारी इस अधिनियम के तहत नियुक्त सम्बद्ध अधिकारी को दे सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा वास्तव में ही घट रही हो, घटना होने की आशंका के सम्बन्ध में भी जानकारी दी जा सकती है। आरोपी व्यक्ति से घरेलू संबंध में रहने वाली महिला के द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निम्न महिला संबंधी शिकायत कर सकते हैंः–

- पत्नियाँ लिव इन पार्टनर्स
- बहनें
- माताएं
- बेटियां

इस प्रकार इस अधिनियम का मकसद पारिवारिक ढांचे के अन्दर रह रही सभी स्त्रियों, चाहे वह आपस में सगी संबंधी, विवाह, दत्तक या वैसे भी साथ में रह रही हों, सभी को सुरक्षा देना है।

3.2 घरेलू हादसों के रिपोर्ट

जब पीड़िता घरेलू हिंसा की शिकायत करना चाहती हो तो रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। घरेलू हिंसा के विरुध्द संरक्षण नियम, 2006 के फॉर्म 1 में रिपोर्ट का स्वरूप दिया गया है।

पीड़िता की शिकायत में उसकी व्यक्तिगत जानकारियों जैसे नाम, आयु, पता, फोन नं बर, बच्चों की जानकारी, घरेलू हिंसा की घटना का पूरा ब्यौरा, और प्रतिवादी का भी विवरण दिये जाने की जरुरत होती है। जब जरुरत हो तो संबंधी दस्तावेज जैसे चिकित्सकीय विधिक दस्तावेज, डॉक्टर के निर्देश या स्त्रीधन की सू ची को रिपोर्ट के साथ नत्थी करना चाहिए। शिकायत मे पीड़िता को मिली राहत या सहायता का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट पर पीड़िता के हस्ताक्षर के साथ–साथ सुरक्षा अधिकारी के भी दस्तखत होने चाहिए। इस रिपोर्ट की प्रति स्थानीय पुलिस थाने और मजिस्ट्रेट को उचित कार्रवाई के लिए दी जानी चाहिए। एक प्रति पीड़िता और एक कॉपी सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता के पास रहनी चाहिए।

4. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओ का सरंक्षण

घरेलू हिंसा की शिकार महिला को निम्नलिखित सूची में से एक या एकाधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है–

उपरोक्त सभी बातों के अलावा पीड़िता भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 498–। के तहत आरोपी के विरुद्ध आपराधिक मामलों को दर्ज को कराने का भी अधिकार देती है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट

- प्रतिवादी को परामर्श के लिए भेज सकता है।
- परिवार कल्याण में रत किसी सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषकर किसी महिला को सहायता के लिए नियुक्त कर सकता है।
- जहाँ आवश्यक हो कार्यवाही के दौरान कैमरे के प्रयोग का आदेश दिया जा सकता है।
- मजिस्ट्रे टद्वारा पीड़िता या प्रतिवाद के लिए पारित आदेश के खिलाफ, आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है।

5. अधिनियम के तहत कार्यरत संस्थाएं

घरेलू हिंसा के शिकार किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता, मदद, आश्रय या चिकित्सकीय सहायता देना राज्य की जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य के साथ राज्य सरकार को निम्न सस्थाओं को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो कि पीड़िता को विधि के अंतर्गत सहायता पाने के उसके अधिकार के बारे में जानकारी के साथ सहायता पाने में मदद कर सके।

5.1 पुलिस अधिकारी (धारा 5)

जब भी किसी पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की घटना की जानकारी मिलती है तो यह उसक दायित्व है कि आपराधिक दंडप्रक्रिया, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जाँच करे। इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा अधिनियम पुलिस अधिकारी को दायित्व देता है कि वह पीड़िता को,

(क) निःशुल्क विधि सेवाओं के बारे में जानकारी दे,

(ख) इस अधिनियम के तहत उसकी हानि और वेदनाओं के लिए मुआवजे और नुक्सान के एवज में आवास आदेश, सुरक्षा आदेश, संरक्षण आदेश और आर्थिक राहत जैसी सहायता मुहैय्या कराये।

(ग) सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं की सेवाएं उपलब्ध कराये, और

(घ) अगर जरूरी हो तो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 498 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करे। (केवल पत्नी ही अपने पति या उसके परिजनों के खिलाफ धारा 498 के तहत शिकायत कर सकती है। यह अधिकार लिव इन पार्टनर्स को उपलब्ध नहीं है।)

5.2 सुरक्षा अधिकारी (धारा 9)

घरेलू हिंसा अधिनियम में सु रक्षा अधिकारी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये सरकारी और गैर–सरकारी सं गठनों के साथ काम करते हैं। ये योग्य होते हैं और इनके पास सामाजिक क्षेत्र मे काम करने का कम से कम तीन सालों का अनुभव होता है। राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को जो ज्यादातर महिलाएं होती हैं, हर जिले में न्यनतम तीन सालों के लिए तैनात करता है और उनके काम का संज्ञान लिया जाता है।

सुरक्षा अधिकारी का काम पीड़िता की हर कदम पर मदद करना है। वे पीड़िता की घरेलू हिंसा की रिपोर्ट को तयशुदा ढांचे में दर्ज करवाने में मदद करते हैं। वे पीड़ित को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं और इस अधिनियम के तहत सहायता को उपलब्ध करवाने के लिए पीड़िता को आवेदन लिखने में सहायता करते हैं। ये अधिकारी घरेलू हिंसा के मामले के निबटारे में मजिस्ट्रेट की भी सहायता करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किये गए आदेशों का अनुपालन पीड़िता के हित में हो।

स्थिति का जायजा लेने के और घरेलू हिंसा नियम, 2005 के फॉर्म ट के अनुसार सुरक्षा योजना बनाने के लिए भी सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता होती है। यह सब घरेलू हिंसा की आवृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय की सलाह देने और उन पर अमल करने के उद्देश्य से किया जाता है।

सुरक्षा अधिकारी पीड़िता को हर मुमकिन सहायता देने के लिए बाध्य हैं जिसमें उसके चिकित्सकीय परीक्षण से लेकर, उसके आवागमन और आश्रय स्थल में आवास की व्यवस्था करना शामिल है बशर्ते कि वह अपने घर पर सुरक्षित न हो। सबसे पहले सुरक्षा अधिकारी को कानूनी सहायता सेवाओं, परामर्श, चिकित्सा सहायता, या जरूरतमंद पीड़ित के आश्रय के लिए अपने क्षेत्राधिकार में शामिल सभी सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार करनी होती है

5.3 सेवा प्रदाता (धारा 10)

सेवा प्रदाता महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन हैं। ये संगठन निरोधात्मक, सुरक्षात्मक और पुनर्वास का काम करते हैं। ये घरेलू हिंसा की शिकार औरतों की सहायता करने और उन्हें कानूनी, समाजिक, चिकित्सकीय और आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तरदायी हैं। ये संस्थाएं निश्चित आवेदन के प्रारूप में शिकायत को दर्ज करा सकती हैं और उसे सीधे आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध और मजिस्ट्रेट और सुरक्षा अधिकारी को भेज सकती हैं। अगर पीड़िता चाहे तो ये संस्थाएं उसे चिकत्सकीय सहायता और शरणगृहों में आवास का प्रबंध कर सकती हैं।

राज्य सरकार सेवा प्रदाताओं की सूची बनाती है और उसे क्षेत्र विशेष के सुरक्षा अधिकारी के पास भेजती है ताकि वे आपसी तालमेल के साथ काम कर सकें। किसी क्षेत्र विशेष के सेवा प्रदाताओं की सूची को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अखबार में प्रकाशित करना होता है या राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होता है

5.4 परामर्शदाता (धारा 14)

परामर्शदाता सेवा प्रदाताओं के ऐसे सदस्य हैं जो कि घरेलू हिंसा के मामलों से निबटने में योग्य एवम अनुभवी होते हैं इसलिए वे घरेलू हिंसा की पीड़िता या दोषी व्यक्ति को परामर्श सेवाएं देने में दक्ष होते हैं। इस अधिनियम के दौरान अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा महसूस होता है कि पीड़िता या पीड़क व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता है तो वह उन्हें एकल या संयुक्त रूप से सेवा

प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गए परामर्शदाता के पास परामर्श सत्रों में भाग लेने का सीधे तौर पर निर्देश जारी कर सकता है। परामर्शदाता दोनों पक्षों के लिए सहज स्थान पर मुलाकात का आयोजन करता है और वह पीड़ित की शिकायत के निवारण के लिए उपाय सुझाता है और जहाँ पर पीड़ित राजी हो, वह वहाँ पर समझौते का भी प्रबंध करता है। इस प्रकार के परामर्श का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा के उन्मूलन के उपायों को खोजना और विकसित करना है,

5.5 कल्याण विशेषज्ञ (धारा 15)

कल्याण विशेषज्ञ पारिवारिक मामलों को सुलझाने में दक्षता और विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इस अधिनियम के तहत आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट कल्याण विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत जहाँ तक संभव हो महिला विशेषज्ञों का ही चुनाव किया जाता है।

6. आश्रय और चिकित्सा

सुविधा प्रभारी घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 6 और 7 के अनुसार आश्रय और चिकित्सा सुविधा प्रभारी का दायित्व है कि स्वयम पीड़िता या सुरक्षा अधिकारी या उसकी ओर से सेवा प्रदाता के अनुरोध के आधार पर पीड़िता को आश्रय और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये।

7. उपसंहार

घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों में संतोष है, वही दूसरी ओर यह भी कहा है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नही है। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सचेत करना और इन अधिकारों को लागू करना अत्यंत आवष्यक है। महिला नीतियों में इस बात पर वि"ोष बढ़वा दिया है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जाए, औरत अबला नहीं रही यह समझने की जरूरत है। मूल्यों को झुठलाया नहीं जा सकता लेकिन इसे कैसे रोका जाए, यह एक बड़ा सवाल है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में सफल हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पुरूष मानसिकता और उनकी सोच में बदलाव की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कुछ पुरूष तो पुरूषवादी सोच से उपर उठकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ अभी भी रूढ़िवादी अहम के साथ जीते हैं। वे न बदलने को तैयार है और न ही किसी को सुनना चाहते हैं। पुरूषों और महिलाओं की सोच एक दिन में नहीं विकसित हो जाती है। शिक्षित महिलाओं की सोच और अशिक्षित महिलाओं की सोच में जिस तरह से अंतर होता है उसी तरह शिक्षित और अशिक्षित पुरूषों की समझ में घरती आसमान का अन्तर होता है। पुरूषों में पुरूषवादी सोच कहां से पनपती है इसका कारण जान कर उसमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों पर परवाह नहीं की जाती है और लड़को को लाड़ – प्यार दिया जाता है। तो भेदभाव का बीज तो जन्म के बाद से ही समाज ने स्त्री और पुरूषों के मन में बो दिया जाता है। देष के किसी भी कोने में चले जाए ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं को कम आंकते हैं। आज भी कई परिवारों में महिलाओं का घरेलू हिंसा का स्तर कम नहीं हुआ। किसी भी सभ्य समाज में बलात्कार, शोषण ,हिंसा, असुरक्षा की भावना के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के साथ जो घटित हो रहा है इससे तो यही निष्कर्ष निकाला कि समाज में पुरूष बदलने की कोशिश नहीं करना चाहते। पुरूष अपने को सबल समझते हैं लेकिन अपने कर्त्तव्य को नकार रहे हैं। महिलाएं बदल रही हैं तो पुरूषों को भी बदलना होगा। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा है। आज भी कई परिवारों में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन्हें वो हर काम करने की छूट दी जाती है जो नैतिक रूप से गलत है। इन्हीं का परिणाम इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। इसके लिए उन विकास"ील सोच वाले शिक्षित पुरूषों को आगे बढ़कर रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलना होगा।

8. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अहूजा,राम (2008), सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान, रावत पब्लिकेशंस ,जयपुर।
2. धुपकरिया, लता (2005),"महिला मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एक इन्द्रियानुभविक अध्ययन" अप्रकाशित शोध ,समाजशास्त्र संकाय,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र)।
3. श्रीवास्तव,सुधारानी (2009), "महिला उत्पीडन और वैधानिक उपचार", प्रकाशक अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।
4. सक्सेना,अल्का एवं गुप्ता,चन्द्र सुभाष (2011), "पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं", प्रकाशक राधा पब्लिकेन्स, 4231–1 अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।
5. रिजवी, आबिद आबिद (2012), "महिला अधिकार कानून तुलसी साहित्य", पब्लिकेन्स गांधी मार्ग निकट ओडियन सिनेमा,मेरठ (उत्तर प्रदेश)।